


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]
No. 276]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2000/चैत्र 30, 1922
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2000/CHAITRA 30, 1922

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2000

का. आ. 396 (अ).— केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं— इस आदेश में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “वाहक” के अंतर्गत रेलवे या एक स्थान से दूसरे को भूमि, वायु या जल द्वारा माल के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई अन्य व्यक्ति आता है ;

(ख) “जूट आयुक्त” से केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त जूट आयुक्त अगिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस आदेश के अधीन जूट आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इस प्रकार नियुक्त कोई अन्य अधिकारी भी है ;

(ग) “जूट वस्त्र” से अभिप्रेत है हैसियन और जूट से बुने सैकिंग क्लोथ, हैसियन या सैकिंग क्लोथ, डोरी, सूत और पूर्णतया कच्चे जूट या भागतः कच्चे जूट और भागतः किसी अन्य सागरी से बने धैले जिनमें भार के अनुसार कच्चा जूट प्रधान हो ;

(घ) “विनिर्माता” से अगिप्रेत है किसी प्रक्रिया से, जिसमें विद्युत शक्ति का उपयोग अंतर्वलित है, जूट वस्त्रों का उत्पादक और जूट तंतु से जूट वस्त्रों का उत्पादन करने वाली संयुक्त जूट मिलें सम्मिलित हैं जिनमें हैवी ड्यूटी धुनाई मशीनों से यांत्रिक या वैद्युत प्रक्रिया अंतर्वलित है ;

(ड) “कच्चा जूट” से अभिप्रेत है जूट तंतु जो पट, कोरटा, नलिता, विगली या मेरटा के नाग से ज्ञात है ;

(च) “वर्ष” से अभिप्रेत है 1 जुलाई को प्रारंभ होने वाला और अगली 30 जून को समाप्त होने वाला वर्ष ।

3. कीमतें नियत करनी की शक्ति— (1) जूट आयुक्त, समय-समय पर, राजपत्र में वह न्यूनतम कीमत अधिरूचित करेगा जिस पर कच्चे जूट की किसी किस्म या ऐसी किस्म के किसी ग्रेड या विनिर्देश का क्रय या विक्रय किया जाता है तथा विभिन्न क्षेत्रों या कच्चे जूट की विभिन्न किस्म, ग्रेड या विनिर्देश के लिए भिन्न कीमतें नियत की जा सकती हैं किंतु यह इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि यह कीमत केंद्रीय सरकार द्वारा नियत न्यूनतम समर्थन कीमत पर आधारित होगी ।

(2) ऐसी कीमत या कीमतों को नियत करते समय जूट आयुक्त, कच्चे जूट या जूट वस्त्र के उत्पादन केंद्र से उस क्षेत्र या क्षेत्रों, जिनकी वास्तव ऐसी कीमत या कीमतें नियत की गई है / हैं, के परिवहन के लिए आवश्यक रेल भाड़ा और अन्य व्ययों, उत्पादन की अनुमानित लागत, उन्हें उचित दर पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता और किसी अन्य सुरंगत कारक / कारकों को भी ध्यान में रखेगा ।

(3) जूट आयुक्त, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर वह अधिकतम या न्यूनतम कीमत या दोनों, जिस पर जूट वस्त्र की कोई किस्म या ऐसी किस्म के किसी ग्रेड या विनिर्देशन का जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) के अधीन क्रय या विक्रय या उपयोग किया जा सकेगा ।

4. जूट वस्त्रों के उत्पादन का नियंत्रण करने की शक्ति— जूट आयुक्त, जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य निर्देश के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएगा और आदेश द्वारा किसी विनिर्माता या विनिर्माताओं के वर्ग या साधारणतया विनिर्माताओं को ऐसे क्रियान्वयन के लिए आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए जूट वस्त्रों के वर्गों या विनिर्देशों की ऐसी मात्राओं का उत्पादन करने का निदेश दे सकेगा ।

5. कच्चे जूट के स्टॉक का विनियमन करने की शक्ति— (1) जूट आयुक्त, आदेश द्वारा, कच्चे जूट की वह अधिकतम या न्यूनतम मात्रा विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो कोई जूट विनिर्माता किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान अपने कब्जे में रख सकता है ।

(2) जूट आयुक्त, उपखंड (1) के अधीन कोई आदेश जारी करते समय इस आदेश के पैरा 4 को ध्यान में रखेगा :

परंतु इस पैरा के अधीन जारी किया गया कोई आदेश किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होगा ।

6. क्वालिटी का निरीक्षण करने की शक्ति— जूट आयुक्त, बाजार में जूट वस्त्रों की क्वालिटी को सुनिश्चित करने और अंतिम उपयोक्ता के हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से जूट वस्त्रों का स्टॉक रखने वाले किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि —

(क) साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत स्थान और समय पर निरीक्षण के लिए नमूने परिवर्तित करे ;

(ख) केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी अन्य स्वशासी निकाय के किसी अधिकारी को जिसे जूट आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, परीक्षण करने के लिए नमूना लेने के लिए अनुज्ञात करे ;

(ग) विनिर्देश के अनुरूप न पाए गए स्टॉक को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से व्ययनित करे ;

परंतु यह कि खंड (ग) के अधीन आदेश पारित करने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

7. जानकारी मांगने और निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण करने की शक्ति— (1) जूट आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक्तः प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से—

(क) किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कारबार के संबंध में उराके कब्जे में की कोई जानकारी दे ;

(ख) किसी व्यक्ति के कब्जे में या उसके नियंत्रणाधीन लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों जो उसकी राय में इस आदेश के किसी उल्लंघन की बावत किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी हों या सुरंगत हों, का निरीक्षण करे या निरीक्षण करवाए अथवा अभिग्रहण करे या अभिग्रहण करवाए तथा ऐसे व्यक्ति को जिराकी अभिरक्षा से ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेज अभिग्रहीत किए गए हैं, उसकी प्रतिलिपि करने या उस अधिकारी जिराकी अभिरक्षा में ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेज हैं की उपस्थिति में उद्धरण लेने के लिए अनुज्ञात करेगा ;

(ग) ऐसे किन्हीं परिसरों में प्रवेश करने या तलाशी लेने के लिए और किसी ऐसे कच्चे जूट या जूट वस्त्रों का अभिग्रहण करने जिनकी बावत उसके पास यह विश्वास करने के लिए कारण है कि इस आदेश का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और तत्पश्चात् इस प्रकार अभिग्रहीत स्टाक के किसी न्यायालय में पेश किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे पेश किए जाने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा या करवाएगा ।

(2) प्रत्येक वह व्यक्ति जिससे खंड (1) के उपखंड (क) और (ख) के अधीन किसी जानकारी का देना या नमूना प्रस्तुत करना या किसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित हो, ऐसी अध्यक्षता या निदेश का पालन करेगा ।

(3) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध, यथासाध्य, इस पैरा के अधीन तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे ।

8. अपील -- इस आदेश के अधीन किए गए जूट आयुक्त के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के उसको संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर केंद्रीय सरकार को अपील कर सकेगा और केंद्रीय सरकार आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील पर ऐसा आदेश पारित करेगी जो वह उचित समझे और उस पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा :

परंतु केंद्रीय सरकार कोई अपील उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण कर सकेगी यदि अपीलार्थी केंद्रीय सरकार का समाधान कर देता है कि उसके पास विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था ।

9. शारिती—

कोई व्यक्ति जो इस आदेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या उसके अधीन किए गए किसी निदेश या अध्यक्षता का पालन करने में असफल रहता है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अधीन दंडनीय होगा ।

10. अधीनस्थ अधिकारियों को प्राधिकृत करने की शक्ति— जूट आयुक्त, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, किसी साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को उसके निमित्त इस आदेश के अधीन उसके सभी या किन्हीं कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

11. निरसन और व्यावृत्ति— जूट वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1956 और जूट (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश, 1961 का निरसन किया जाता है :

परंतु उक्त आदेशों के अधीन या उनके अनुसरण में किए गए किसी आदेश, जारी की गई किसी अधिसूचना, उद्भूत अधिकार, अधिरोपित शारिती या की गई कोई बात अथवा किया गया या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य इस आदेश के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन या उनके अनुसरण में किया गया, जारी किया गया, उद्भूत, अधिरोपित या किया गया समाप्त जाएगा ।

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 19th April, 2000

S.O. 396(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely :-

1. **Short title, extent and commencement** - (1) This Order may be called the Jute and Jute Textiles Control Order, 2000,
 - (2) It extends to the whole of India.
 - (3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. **Definitions** - In this Order, unless the context otherwise requires ,
 - (a) "carrier" includes the railways or any other person engaged in the business of transporting goods from one place to another by land, air or water ;
 - (b) "Jute Commissioner" means the Jute Commissioner appointed by the Central Government and includes any other officer appointed as such to exercise the powers of the Jute Commissioner under this Order;
 - (c) "jute textiles" means hessian and sacking cloth made from jute, bags made from hessian or sacking cloth, twine, yarn and any other article made, wholly from raw jute; or partly from raw jute and partly from any other material(s) where raw jute is predominant by weight;
 - (d) "manufacturer" means the producer of jute textiles by any process involving the use of electrical power and includes composite jute mills producing jute textiles from jute fibre involving mechanical or electrical process with heavy duty carding machine.
 - (e) "raw jute" means the fibre of jute also known as pat, kosta, nalita, bimli or mesta ;
 - (f) "year" means the year commencing on the 1st day of July and ending with the 30th day of June next following .
3. **Power to fix prices** - (1) The Jute Commissioner may, from time to time, notify in the Official Gazette, the minimum price, at which any variety of raw jute or any grade or specification of such variety may be purchased or sold and different prices may be fixed for different areas or for different varieties, grades and specifications of raw jute subject to the conditions that such price is based on the Minimum Support Price fixed by Central

(2) In fixing such price or prices, the Jute Commissioner shall have regard to the quality of raw jute or jute textiles, the railway freight and other expenses necessary for the transport of raw jute or jute textiles from the producing centre to the area or areas in relation to which such price or prices is or are fixed, estimated cost of production, necessity to make the same available at a fair price and any other relevant factor(s);

(3) The Jute Commissioner may, by notification in the Official Gazette, fix from time to time the maximum or minimum price or both, at which any variety of jute textiles or any grade or specifications of such variety may be purchased or sold for use under the Jute Packaging Materials (Compulsory use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987).

4. **Power to Control production of jute textiles** -The Jute Commissioner shall take all steps necessary for the implementation of the Jute Packaging Materials-(Compulsory use in Packing Commodities) Act, 1987 or any other directive of the Central Government and may by order, direct any manufacturer or class of manufacturers, or the manufacturers generally, to produce such quantities of such classes or specifications of jute textiles as may be specified in the order for such implementation.

5. **Power to regulate stocks of raw jute** - (1) The Jute Commissioner may, by order, specify the maximum or minimum quantity of raw jute which a jute manufacturer may have in his possession during any specified period.

(2) In issuing an order under sub-clause (1), the Jute Commissioner shall have regard to paragraph 4 of this Order.

Provided that any order issued under this paragraph shall be for a specific period.

6. **Power to inspect quality**, The Jute Commissioner, may, with a view to ensuring quality of jute textiles in the market and to protect the interests of the end-user, require any person holding stock of jute textiles,

(a) to deliver samples for inspection at a place and time so fixed by a general or specific order;

- (b) to permit any official of the Central or State Government or any other autonomous body authorised by the Jute Commissioner to draw such samples for testing the same ;
- (c) dispose of such stock(s) not conforming to specifications in such a manner as may be specified by him :

Provided that a reasonable opportunity is afforded to such person before passing an order under clause (c).

7. Power to call for information and to inspect, search and seizure--

(1)The Jute Commissioner or any officer duly authorised by him in this behalf may, with a view to securing compliance with this Order --

(a) require any person to give any information in his possession with respect to any business carried on by that person or any other person;

(b)inspect or cause to be inspected or seize or cause to be seized books of accounts or other documents in the possession or under the control of any person which in his opinion shall be useful for or relevant to, any proceedings in respect of any contravention of this Order and allow the person from whose custody such books of accounts or other documents are seized to make copies thereof or to take extracts therefrom in the presence of the officer having the custody of such books of accounts or other documents;

(c) enter and search any premises and seize any raw jute or jute textiles in respect of which he has reason to believe that a contravention of this Order has been, is being or is about to be committed and thereafter take or authorise the taking of all measures necessary for securing the production of stocks so seized, in a court for their safe custody, pending such production.

(2).Every person who is required to give any information or furnish sample or produce any book or other documents under sub-clauses (a) and (b) of clause (1) shall comply with such requisition or direction.

(3)The provisions of the Code of Criminal Procedures, 1973(2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this paragraph .

8. Appeal -- Any person aggrieved by an order of the Jute Commissioner made under this Order may prefer an appeal to the Central Government within thirty days of the date of communication to him of such order and the Central Government may after giving the applicant an opportunity of being heard, pass such orders on the appeal as it thinks fit and the decision of the Central Government thereon shall be final;

Provided that the Central Government may entertain an appeal after the expiry of said period of thirty days, if the appellant satisfies the Central Government that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the specified time.

9. Penalty--

Any person who contravenes any of the provisions of this Order or fails to carry out any direction or requisition made thereunder shall be punishable under section 7 of the Essential Commodities Act, 1955.

10. Power to authorise sub-ordinate officers-- Subject to the prior approval of the Central Government, the Jute Commissioner may, by a general or special order in writing, authorise any officer of the Central Government or a State Government to exercise on his behalf, all or any of his functions and powers under this Order.

11. Repeal and Saving :—The Jute Textiles (Control) Order, 1956 and the Jute (Licensing and Control) Order, 1961 are hereby repealed.

Provided that any order made, notification issued, right accrued, penalty imposed or anything done or any action taken or purported to have been done or taken under or in pursuance of the said Orders shall be deemed to have been made, issued, accrued, imposed or done or taken under or in pursuance of the corresponding provisions of this Order.

[F. No. 15/63/98-Jute]

T. NANDAKUMAR, Jt. Secy.